UPMT010015992026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–748/2026
दाऊ सिसौदिया उर्फ दिव्य प्रताप सिंह प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या 618/2025, धारा 191(2),191(3),352,351(3), 324(4),117(2),131,61(2),109 भारतीय न्याय संहिता, थाना गोवर्धन, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **दाऊ सिसौदिया उर्फ दिव्य प्रताप सिंह** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई विश्व कौशिक के वाहन में थार गाड़ी से टक्कर मारकर वाहन को क्षतिग्रस्त करना, गालीगलौज करना, जान से मारने की धमकी देना तथा उस पर जान से मारने की नीयत से जिम की लोहे की रोडों से हमला कर उसे मरणासन्न अवस्था में छोड़कर चले जाना आदि, आक्षेपित है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा योगेन्द्र प्रताप सिंह पर बल देते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसको झूंठा व गलत फँसाया गया है, उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा और कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी सक्षम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। मामले के कथित चुटैल के मेडीकल में लिखी गयी सभी चोटें शरीर के वाइटल पार्ट पर नहीं हैं। मेडीकल रिपोर्ट के आधार पर उक्त मुकदमा धारा 117(2) बी०एन०एस० की परिधि में आता है, जो जमानतीय है। उक्त घटना से पूर्व दिनांक 28.10.2025 को उक्त विशू द्वारा सहअभियुक्त अभिषेक के पिता कमल सिंह को धमकी दी थी कि या तो अपनी जिम में साझीदार बना ले नहीं तो तेरी जिम बन्द करा देंगे। इस घटना की शिकायत अभिषेक ने अपने मोबाइल नंबर 8171000051 से विशु के चाचा नकुल को फोन पर इस घटना की शिकायत की, इसी रंजिश के कारण उक्त घटना उक्त विशु आदि ने की है। घटना के उक्त क्रास वर्जन की रिपोर्ट थाना गोवर्धन पुलिस ने दर्ज नहीं की, तब मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। कोई भी चोट शरीर के वाइटल पार्ट पर नहीं है, दो चोटों को छोड़कर सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। चुटैल की कोई भी चोट जीवन के लिए खतरनाक होना नहीं बताया गया है। सहअभियुक्त अभिषेक सिसौदिया की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 18.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उसको दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाये।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष/वादी पक्ष की ओर से मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि दिनांक 28.11.2025 को सुबह वादी यज्ञ कौशिक का भाई विश्व कौशिक एवी फिटनेस जिम गोवर्धन में जिम करने गया था। जहां जिम करते वक्त उसकी कहासुनी सहअभियुक्त अभिषेक सिसौदिया से हो गयी। उसके बाद विश्व कौशिक अपनी कार से मुखराई तिराहा, राधाकुण्ड आया था। जिम की कहासुनी हो लेकर अभिषेक अपने साथी आकाश, गौरव, कुलदीप, दाऊ सिसौदिया, मृदुल, आदित्य, तेजवीर ठाकुर व 4–5 अज्ञात साथियों के

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.24 16:13:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

साथ एकराय होकर विश्व की तलाश करते हुए थार गाड़ी सं० UP85 CF 4999 व मोटरसाईकिलों से मुखराई तिराहे पर पहुंचे तथा पहले विश्व की खड़ी कार में टक्कर मारी, उसके बाद जान से मारने की नीयत से विश्व पर जिम की लोहे की रोडों से जानलेवा हमला किया। विश्व को मरणासन्न हालत में छोड़कर चले गये। अभियुक्तगण द्वारा की गयी मारपीट से चुटैल विश्व के शरीर पर गम्भीर चोटें आयी हैं।

चुटैल की सप्लीमेंटरी रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा Rt. hand fingers fracture of proximal phalanges of index finger and middle finger and 2nd metacarpal bone, Lt. hand finger and Lt. elboe jt. दर्शाया गया है।

केस डायरी में विवेचक द्वारा चिकित्सक डा. तुलाराम का बयान अंकित किया गया है, जिसने कथन किया है कि दिनांक 29.11.2025 को सीएचसी गोवर्धन पर मजरूब विशु उर्फ विश्व कौशिक को गम्भीर रूप से घायलावस्था में लाया गया था, जिसकी चिकित्सीय परीक्षण उसके द्वारा किया गया था। परीक्षण में मजरूब उपरोक्त के कुल 14 चोटें आयीं थी। एक्सरे एवं सीटी हेड की रिपोर्ट एवं सर्जन की रिपोर्ट के अवलोकन से सीधे हाथ की उंगलियों में हाथ से जुड़ी पहली हडडी में फ्रेक्चर तथा बांय स्केप्यूलर रीजन की चौथी पसली में फ्रेक्चर होना पाया गया है जो गम्भीर प्रकृति की चोटें हैं तथा शेष चोटें साधारण प्रकृति की हैं।

वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि सहअभियुक्त अभिषेक शर्मा के जमानत पर रिहा होने के पश्चात अभियुक्त पक्ष द्वारा दिनांक 09.02.2026 को सांयकाल 7 बजे गोवर्धन में दानघाटी मंदिर के पास पुनः वादीपक्ष के लोगों के साथ मारपीट की गयी है, जिसके सम्बन्ध में सहअभियुक्त अभिषेक के विरूद्ध जमानत निरस्तीकरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

आवेदक/अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

उक्त के प्रत्युत्तर में अभियुक्त पक्ष का कथन है कि उक्त द्वितीय घटना दिनांक 09.02.2026 की सांयकाल 7.15 बजे गोवर्धन की बतायी जाती है, जबकि सहअभियुक्त अभिषेक दिनांक 09.02.2026 को सांयकाल 7.45 बजे जिला कारागार, मथुरा से रिहा हुआ है, जिसके सम्बन्ध में जिला कारागार, मथुरा द्वारा जारी पत्र की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से चुटैल बताये गये मजरूब विश्व कौशिक की कोई चोट प्राणघातक होना उल्लिखित नहीं है। मजरूब की चोटें किस सीमा तक गम्भीर हो सकती थीं, यह साक्ष्य की विषयवस्तु है। मामले में अभी विवेचना चल रही है व विवेचना से सभी तथ्य सामने आने शेष हैं। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 18.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। सहअभियुक्त अभिषेक सिसौदिया का जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है। आवेदक/ अभियुक्त किसी पूर्व प्रकरण में दोषसिद्ध हो, ऐसा अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **अभिषेक सिसौदिया** द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाये–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

UPMT010015992026

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार मथुरा को ई–मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चत करें।

दिनांक–24.03.2026

(विकास कुमार–।)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा, पी.एस.